जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

उदयपुर

Rashtradoot

फोनः- 2418945 फैक्सः- 0294-2410146 वर्षः 32 संख्याः 320 प्रभात उदयपुर, रविवार 21 सितम्बर, 2025 आर.जे. 7202 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

ट्रंप ने भारतीय प्रोफैशनल्स पर सर्विस टैरिफ का भारी चपत धरा

पहले एच-1बी वीज़ा की एप्लीकेशन पर 1700 से 4500 डॉलर की फीस लगती थी, जो बढ़ाकर 100,000 डॉलर प्रति आवेदक हो गई, जो हर वर्ष लगेगी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितंबर। डॉनल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रोफैशनल्स के अमेरिका जाकर काम करने पर सेवाओं के निर्यात शुल्क में 2250 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है।

अब तक, एच-1बी वीज़ा की आवेदन फीस प्रति आवेदन 1700 डॉलर से 4500 डॉलर होती थी। अब इसे बढ़ाकर प्रति आवेदक प्रति वर्ष 100,000 डॉलर कर दिया गया है। अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने कहा है कि कंपनियों को यह तय करना होगा कि क्या वे इतना दाम देकर किसी विदेशी कर्मचारी को नौकरी पर रखना चाहेंगी या किसी शिक्षित अमेरिकी को नौकरी देंगी।

रिपोर्टों के अनुसार, नया शुल्क 21 सितंबर से लागू होगा। इस तरह तत्काल प्रभाव से लागू होने के कारण यह कदम उस टैक्नॉलजी क्षेत्र में भारी उथल-पुथल मचा सकता है जो मुख्य रूप से इस सुविधा का उपयोग करता है। इनके अलावा, अमेरिकी स्वामित्व वाले छोटे व्यवसाय और स्टार्टअप भी सीधे तौर

- **अमेरिका के कॉमर्स सैक्रेटरी हारवर्ड लुटनिक ने इस नये सर्विस टैरिफ लगाने को सही ठहराते हुए तर्क दिया कि अब अमेरिकी कंपनियों को यह निर्णय लेना होगा कि इतनी भारी फीस देकर भारतीय आईटी प्रोफैशनल को रखना चाहिए या उनकी जगह किसी शिक्षित अमेरिकी नागरिक को नौकरी देना, ज्यादा अच्छा रहेगा।**
- **जैसा कि विदित ही है, एच-1बी वीज़ा उन विदेशी कर्मचारियों के लिए लेना अनिवार्य होता था जो अमेरिका के नागरिक नहीं थे। पर, अमेरिका में एच-1बी वीज़ा लेकर नौकरी कर रहे थे।**
- **अमेरिका के एच-1बी वीज़ा के कोटा का लगभग 70 प्रतिशत भारतीय प्रोफैशल्स के काम आता था, अब जानी मानी आईटी कंपनियां, जैसे टी.सी.एस., विप्रो, टैक महिन्द्रा, इन्फोसिस आदि को नई रणनीति बनानी होगी और प्रोफैशनल्स को विदेश भेजने का विकल्प छोड़कर भारत की भूमि पर काम करने की सुविधा प्रदान करनी होगी।**
- **तथा, अब भारत को भी जवाबी कार्यवाही करते हुए अमेरिका से आयातित सामान पर जवाबी टैरिफ लगाना होगा। बोइंग हवाई जहाज की जगह फ्रांस के एयरबस विमान को खरीदने का ऑर्डर देना होगा।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चपरासी भर्ती परीक्षा में नकल करने पर इंजीनियर छात्र गिरफ्तार

जयपुर, 20 सितम्बर। अशोक नगर थाना पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कराई जा रही राजस्थान ग्रेड फोर्थ (चपरासी) भर्ती परीक्षा की पहली पारी में परीक्षा में नकल करते एक इंजीनियर छात्र को गिरफ्तार किया है। आरोपी अभ्यर्थी स्मार्ट वॉच से चीटिंग कर रहा था। वॉट्सऐप के जरिए उसने क्वश्चन पेपर को परीक्षा सेंटर से बाहर भेजा था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर नकल में प्रयुक्त स्मार्ट वॉच और वॉट्सऐप के जरिए पेपर भेजने वाले मोबाइल को जब्त कर लिया है।

- **आरोपी रवि अंडर गारमेंट में छिपाकर स्मार्ट वॉच परीक्षा केन्द्र में ले गया था तथा उसके माध्यम से नकल कर रहा था।**

अशोक नगर थानाधिकारी किशन कुमार ने बताया कि आरोपी रवि

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप का एच-1बी वीज़ा के आदेश का कानूनी पक्ष बहुत कमज़ोर है

अमेरिका के राष्ट्रपति को, वीज़ा की एप्लीकेशन को प्रोसैस करने पर आयी लागत की भरपायी के लिए, फीस लगाने का वाजिब अधिकार है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीज़ा आवेदनों पर 100,000 डॉलर (लगभग 83 लाख रूपये) फीस लगाने की घोषणा ने विश्व स्तर पर टैक्नॉलजी सैक्टर में हलचल मचा दी है। यह फीस मौजूदा कुछ सौ डॉलर की पंजीकरण फीस से कई गुना अधिक है। इस निर्णय ने न केवल राजनीतिक बहस को हवा दी है, बल्कि कानूनी चुनौतियाँ भी पैदा कर दी हैं और उन शीर्ष अमेरिकी कंपनियों को भी चिंतित कर दिया है, जो कुशल विदेशी प्रतिभा पर निर्भर हैं।

ट्रंप प्रशासन ने इस बढ़े शुल्क को अमेरिकी नौकरियों की रक्षा और कंपनियों पर अधिक घरेलू कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए दबाव बनाने के अपने एजेंडा का हिस्सा बताया है।

वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने कहा कि यह कदम सुनिश्चित करेगा कि केवल "बेहद कौशल" वाले लोग ही एच-1बी वीज़ा के लिए पात्र हों और इससे सस्ते विदेशी श्रमिकों पर निर्भरता घटेगी।

- **पर, वॉशिंगटन के इमिग्रेशन मामलों के जाने माने वकील के अनुसार, अगर आवेदन पर लगाई गई फीस, खर्च से कहीं ज्यादा है तथा फीस लगाने का मकसद दण्डात्मक है, जिससे विदेशी प्रोफैशनल्स का अमेरिका आना रोका जा सकेगा, तो न्यायालय राष्ट्रपति के इस आदेश को रद्द कर सकते हैं।**

लेकिन पूरे अमेरिका के कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह आदेश कानूनी रूप से कमज़ोर है। "इमिग्रेशन एंड नैशनलिटी एक्ट" (आईएनए) के तहत, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (यूएस सिटीज़नशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़-यूएससीआईएस) को वीज़ा प्रक्रिया की लागत वसूलने के लिए शुल्क निर्धारित करने का अधिकार है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि जहाँ लागत की वसूली एक वैध कानूनी अधिकार है, वहीं लागत वसूली के नाम पर 100,000 डॉलर का शुल्क वास्तविक प्रशासनिक खर्च से कहीं बहुत अधिक है।

वॉशिंगटन के एक इमिग्रेशन वकील ने कहा, "इतना ज्यादा शुल्क, लागत वसूली कम, बल्कि बाहरी लोगों को आने से रोकना ज्यादा लगता है। यह आदेश वैधानिक अधिकारों से परे जाकर दिया गया आदेश सिद्ध हो सकता है।"

विश्लेषकों को उम्मीद है कि इस आदेश को "एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर एक्ट" (एपीए) के तहत चुनौती दी जाएगी, जो सरकारी नियमों के तर्कसंगत, प्रमाण-आधारित और प्रक्रियात्मक रूप से उचित होने की मांग करता है। अगर अदालतों को यह शुल्क मनमाना, अनुपातहीन या लागत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'सर इतना भी मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े'

नयी दिल्ली, 20 सितम्बर। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जब भारत के खिलाफ निर्णय लेते हैं तो आश्चर्य की बात यह है कि इन फैसलों पर मोदी चुप्पी साध लेते हैं। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने इसे अमेरिकी राष्ट्रपति के समक्ष झुकना करार दिया लेकिन एक शेर-"झुक कर सलाम करने में क्या हर्ज है मगर , सर इतना भी मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े"- के साथ उन्हें सलाह दी है कि ट्रम्प के हर निर्णय को सिर झुकाकर स्वीकार करने की बजाय उन्हें इस पर चुप्पी भी तोड़नी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री देश से बड़ा नहीं होता। यह खुलासा होना चाहिए कि क्या यह दोस्ती किसी को बचाने के लिए है या कुछ राज़ हैं जिन पर पर्दा डालने के लिए है। उन्होंने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रम्प ने मोदी की तारीफ़ की, उन्हेंमाय डियर फ्रेंडकहा और जन्मदिन पर बधाई दी तो मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर संदेश दिया।

- **कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्रंप के विवादास्पद फैसलों पर मोदी के मौन की आलोचना करते हुए शायराना कटाक्ष किया।**

हिन्द महासागर में खनिजों का अन्वेषण करेगा भारत

नयी दिल्ली, 20 सितंबर। भारत ने हिंद महासागर के नीचे कार्ल्सबर्ग घाट क्षेत्र के 10 हजार वर्ग किलो मीटर के हिस्से में खनिजों के अन्वेषण का अधिकार हासिल किया है जिससे गहरे समुद्र के नीचे खनिजों के अन्वेषण और निकासी के क्षेत्र में भारत के प्रयासों को बल मिला है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसए) के बीच एक नए 15-वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर की जानकारी दी।ष

इसके तहत भारत को कार्ल्सबर्ग घाट क्षेत्र के उस 10 हजार वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड (पीएमएस) के अन्वेषण का विशिष्ट अधिकार होगा। पॉलीमेटेलिक सल्फाइड में लोहा, तांबा, जस्ता, चांदी, सोना और प्लैटिनम जैसी मूल्यवान धातुएँ होती हैं। अफ्रीकी महाद्वीप और भारत के बीच हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक समुद्र के नीचे तीन लाख वर्ग किलो मीटर क्षेत में फैला कार्ल्सबर्ग घाट क्षेत्र पॉलीमेटेलिक सल्फाइड (पीएमएस) खनिज की संभावनाओं वाला क्षेत्र है।

- **पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि हिंद महासागर में कार्ल्सबर्ग घाट के 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनिजों के अन्वेषण के लिए भारत को 15 साल का अनुबंध मिला है।**

इस तरह भारत आईएएस के साथ दो पीएमएस अन्वेषण अनुबंध प्राप्त करने वाला पहला देश बना गया है और देश को एक अग्रणी निवेशक के रूप में मान्यता मिली है। यह कामयाबी मोदी सरकार की गहरे समुद्र में खनिजों के अन्वेषण और उत्खनन , खनन प्रौद्योगिकी विकास और भारत की नीली अर्थव्यवस्था पहल को सुदृढ़ करने की नीति के अनुरूप है।

ईडी को मो. सादिक के 20 खातों में करोड़ों रुपये का लेन-देन मिला

बीकानेर में तलाशी में ईडी को विदेशी धन, हथियारों की तस्करी, जबरन धर्म परिवर्तन के प्रमाण मिले

बीकानेर, (कासं)। बीकानेर में एन्फोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ईडी) की कार्रवाई में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच एजेंसी ने अमीर मो. सादिक के 20 बैंक खातों को खंगाला। इनमें करोड़ों के लेन-देन के सबूत मिले हैं। सादिक 6 से ज्यादा विदेश यात्राएं भी कर चुका है। आरोप है कि सादिक ने बांग्लादेश के एक एनजीओ की आर्थिक मदद भी की थी। विदेशों से भी फंडिंग की जानकारी मिली है।

ईडी को को शक है कि सादिक के आतंकी कनेक्शन भी हैं और इसको लेकर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है। ईडी ने 17 सितंबर को धोबीतलाई की गली नंबर 2 स्थित मोहम्मद सादिक, फड़ बाजार में पठानों की मस्जिद वाली गली में असगर अली, सुभाषपुरा में कांग्रेस के पूर्व पार्षद जावेद और मुक्ताप्रसाद नगर में साबिर के घर सहित, कुल छः ठिकानों की तलाशी ली थी। बताया जाता है कि असगर अली, जावेद और साबिर, सादिक के करीबी हैं। मोहम्मद सादिक बीकानेर में जमीयत अहले हदीस (जेएएच) नाम का एनजीओ चलाता है। सादिक अलफुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट का अध्यक्ष भी था और मस्जिद-ए-आयशा ट्रस्ट की भी देखरेख करता था। सादिक के इन ट्रस्टों सहित, करीब 20 बैंक खातों में करोड़ों रूपए होने और लेनदेन का इनपुट मिला है।

ईडी को सादिक के खिलाफ हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी मिली थी। ईडी को तलाशी अभियान के दौरान जुटाए सबूतों से संदिग्ध माध्यमों से विदेशी धन जुटाने, हथियारों की तस्करी, भड़काऊ सामग्री का प्रचार-प्रसार, जबरन धर्म परिवर्तन, व्यक्तिगत तथा वैचारिक लाभ के लिए धार्मिक संस्थाओं का दुरुपयोग आदि के प्रमाण मिले हैं।

- **ईडी की जांच के अनुसार कोई वैध व पर्याप्त आय नहीं होने के बावजूद सादिक ने कई देशों की यात्रा की व लम्बे समय तक इन देशों में रहा। बांग्लादेश के एक एनजीओ को वित्तीय सहायता देने के साक्ष्य भी मिले।**

ईडी के पास जानकारी थी कि सादिक गैरकानूनी धर्मान्तरण और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल रहा है। इसके चलते जयपुर से ईडी की टीम ने सर्च अभियान चलाया था। ईडी की जांच में सामने आया कि जमा राशि का स्रोत सादिक ने स्पष्ट नहीं किया है, जो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान में ई-सिगरेट पर पूर्ण पाबंदी लागू करें

जयपुर, 20 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में ई-सिगरेट की बिक्री को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि ई-सिगरेट पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जानी चाहिए। वहीं, इसके लिए एक विस्तृत कार्य योजना भी तैयार करने के लिए कहा है। खंडपीठ ने इस संबंध में साल 2019 में बनाए कानून के प्रावधानों को लागू करवाने के लिए मुख्य सचिव व डीजीपी को भी दिशा-निर्देश दिए हैं। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश प्रियांशा गुप्ता की पीआईएल पर दिए। अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वे विभिन्न रेंज हैड क्वार्टर का प्रतिनिधित्व करने वाले अफसरों की एक टीम बनाएं, जो कानून

- **हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव व डीजीपी को 2019 में बने कानून के प्रावधानों को लागू करने के निर्देश दिये।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जयपुर सेंट्रल जेल से फरार हुए दो कैदियों में से एक पकड़ा गया

रात साढ़े तीन बजे 27 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हुए थे अनस व नवल किशोर

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर 20 सितम्बर। जयपुर सेंट्रल जेल से शनिवार सुबह दो कैदी पुलिस सुरक्षा को धता बताते हुए, 27 फीट ऊंची दीवार कूदकर फरार हो गए। शनिवार अलसुबह 3:30 बजे ये कैदी अनस और नवल किशोर पानी के पाइप के सहारे दीवार पर चढ़े और उसी पाइप से लटककर नीचे कूदकर भागे थे, परंतु पुलिसकर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। शनिवार सुबह बंदियों की गिनती के समय जैसे ही जेल कर्मचारियों को दो कैदियों के फरार होने की जानकारी मिली तो जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया।

इसके बाद उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो इस पूरे घटनाक्रम सामने आया। हालांकि पुलिस ने इन दोनों कैदियों में से एक बदमाश अनस को पकड़ लिया है, परंतु दूसरा कैदी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिसकी धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस घटना के बाद जयपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था और जेल प्रशासन की लापरवाही भी उजागर हो गई है। इस मामले में जेल प्रशासन ने 7 जेल प्रहरियों को निलंबित कर दिया है। अब पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जेल की सुरक्षा व्यवस्था की भी गहन जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि फरारी में जेल के किसी कर्मचारी की मिलीभगत हो सकती हैं,जैसा कि पिछले मामलों में सामने आया था।

- **दूसरा कैदी नवल किशोर अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। सात जेल प्रहरी निलंबित किये गये। फरारी में जेल के किसी कर्मचारी की मिलीभगत होने का शक किया जा रहा है।**

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जेल (एडीजी) रुपिंदर सिंह ने बताया कि जयपुर सेंट्रल जेल से कैदी अनस कुमार (28) और नवलकिशोर महावर (32) फरार हुए हैं। आरोपी अनस यूपी के तालावाली बगिया फिरोजाबाद का रहने वाला है और नवल किशोर महावर इब्राहिमपुर थाना नई मंडी हिंडौन सिटी करौली का रहने वाला है। दोनों कैदी जेल के बाथरूम से निकलकर दीवार पर चढ़ कर फरार हुए हैं। दोनों बंदी इसी सप्ताह जेल में आए थे। बंदी अनस सांगानेर से चोरी के मामले में 15 सितंबर को जेल में पहुंचा था,जबकि बंदी नवल किशोर मालपुरा से चोरी के मामले में 17 सितंबर को जयपुर सेंट्रल जेल पहुंचा था और दोनो ही 13 नंबर बैरक में बंद थे। पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी अनस को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से बचकर भागने के दौरान उसके सिर पर चोट लग गई है। वहीं, दूसरे कैदी नवल किशोर की अभी तलाश की जा रही है। जेल प्रशासन ने इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच शुरू कर दी है। जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी, उस पर कड़ा एक्शन होगा।

जयपुर सेंट्रल जेल से दो कैदी फरार होने की इस घटना के बाद जेल प्रशासन ने 7 जेल प्रहरियों को निलंबित किया है। शुरुआती जांच में इनकी लापरवाही सामने आयी है। इनमें दो मुख्य जेल प्रहरी भी शामिल हैं। डीजी जेल गोविंद गुप्ता के अनुमोदन पर एडीजी जेल रूपिंदर सिंह ने मुख्य जेल प्रहरी रेखा लखेरा, प्रहरी अनिता जाजोरिया, मनोज कुमार मीणा , धर्मवीर गुर्जर , रतन सिंह राठौड़, मनोज वर्मा और माया जाट को निलंबित कर दिया। इसके अलावा 13वीं बटालियन आरएसी (जेल सुरक्षा) के कांस्टेबल ताराचंद,अशोक कुमार और सुभाष चंद को भी निलंबित कर दिया गया है।

शुक्रवार-शनिवार की रात्रिकालीन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अभिनेता मोहनलाल को दादा साहब फाल्के अवॉर्ड

नयी दिल्ली 20 सितंबर। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में अमूल्य योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा।

- **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मलयालम फिल्मों के सुपर स्टार मोहनलाल को सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान करने की घोषणा की।**

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बंगाल में उद्योग को दिये जा रहे "इन्सैन्टिव" बैकडेट से खत्म किये गए

एक बार फिर बंगाल से उद्योगों का पलायन शुरु हुआ

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 सितंबर। तीन दशकों की औद्योगिक प्रोत्साहन योजनाओं को पूर्व प्रभाव (पिछली तारीख) से समाप्त कर पश्चिम बंगाल सरकार ने निवेशकों के विश्वास को तोड़ दिया है और अपनी ही अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया है, साथ ही पूँजी निवेश के प्रति शत्रुता का संदेश भी दिया है। इसकी वजह से एक और औद्योगिक पलायन की लहर उठ सकती है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है।

आर्थिक और वित्तीय दृष्टिकोण से बिल्कुल असंगत इस फैसले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी औद्योगिक प्रोत्साहनों को रद्द कर दिया है, वह भी पूर्व प्रभाव के साथ।

"पश्चिम बंगाल प्रोत्साहन योजनाओं और अनुदान स्वरूप दायित्वों की निरस्तीकरण विधेयक, 2025", जो 2 अप्रैल को अधिसूचित हुआ था, उसने 1993 से अब तक दिए गए सभी प्रोत्साहनों को रद्द कर दिया है और यह प्रभाव उन योजनाओं की प्रारंभ तिथि से लागू होगा। इस पूर्व-प्रभावी कार्यान्वयन का मतलब है कि पश्चिम बंगाल प्रोत्साहन योजनाएं (1993-2021) और अन्य सहायता उपायों के तहत मिले लाभ अब अमान्य माने जाएंगे।

अब कई बड़े उद्योगपतियों ने इस कानून को कोलकाता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है तथा इसे "संविधान विरोधी" करार दिया गया है। उद्योग जगत इसे "विश्वासघात" की संज्ञा दे रहा है और यह सरकार व उद्योगों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास की खाई को और गहरा करता है।

डालमिया और बिड़ला समूह का अनुमान है कि इस निर्णय से उन्हें संयुक्त रूप से 430 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि अन्य कंपनियां अभी नुकसान का आकलन कर रही हैं। वे सभी औद्योगिक इकाइयाँ, जिन्होंने अपने निवेश, विस्तार और वित्तीय योजनाएं इस आधार पर बनाई कि उन्हें सरकार से वादे के अनुसार प्रोत्साहन मिलेंगे, अब उन्हें सीधे आर्थिक नुकसान और योजना में व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है।

- **तृणमूल सरकार द्वारा छः महीने पहले लिए गए इस नीतिगत फैसले का असर अब साफ दिखने लगा। 6,000 कंपनियां, जिनमें 110 लिस्टेड कंपनियां भी शामिल हैं, ने अपना कारोबार बंगाल से बाहर शिफ्ट करना शुरु कर दिया।**
- **इकॉनमिस्ट भी तृणमूल सरकार के इस आदेश का कारण समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अब तो स्थापित सोच है कि औद्योगिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योग को इन्सैन्टिव देना काफी लाभदायक होता है। अमेरिका की एक स्टडी के अनुसार, कैपिटल इण्डस्ट्रियल इन्सैन्टिव पर खर्च किया गया एक रूपया, दो रूपये का लाभ पहुँचाता है। उद्योगों को।**
- **चीन में की गई एक अन्य स्टडी के अनुसार, जिन कंपनियों में सब्सिडी का इन्सैन्टिव किया गया, उनका उत्पाद 61.3 प्रतिशत ज्यादा था बनिस्पत उन इण्डस्ट्री के, जिन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं दिया गया था।**

पश्चिम बंगाल का उद्योगों से टकराव कोई नया नहीं है। राज्य ने 35 वर्षों तक वामपंथी शासन देखा, जिसके बाद सत्ता तृणमूल कांग्रेस के हाथ में गई।

वामपंथी विचारधारा के अनुसार, कॉरपोरेट घरानों को "शोषक वर्ग" का हिस्सा माना गया और उन्हें सहयोग नहीं दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का कथन है कि "पूंजीपति वर्ग शत्रु है, जिससे किसी सहानुभूति की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

हड़तालें, यूनियनवाद और हिंसा वामपंथी शासन में आम थीं। साथ ही उद्योगों पर हमले, आगज़नी और श्रमिक उग्रता भी काफी ज्यादा थी। परिणामस्वरूप, कई उद्योगों ने राज्य छोड़ दिया, सिंघानिया दिल्ली चले गए, बिड़ला मुंबई और जो राज्य कभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक राज्य था, वह पतन की ओर चला गया।

वामपंथियों की जगह जब ममता बनर्जी की अगुआई में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, तो उम्मीद जगी थी। लेकिन सिंगूर में टाटा मोटर्स के खिलाफ आंदोलन, जिसने अंततः कंपनी को राज्य से बाहर कर दिया, ने ममता की उद्योग विरोधी छवि बना दी। विडंबना यह रही कि सिंगूर संयंत्र की शुरुआत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

समुद्र में देश की पहली सुरंग का निर्माण पूरा

नयी दिल्ली, 20 सितम्बर। रेलवे ने मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के घनसोली और शिलफाटा में किये गये सुरंग निर्माण को बड़ी सफलता करार देते हुए कहा है कि यह देश की पहली परियोजना है जिसके तहत समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण किया गया है।

- **मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजैक्ट के तहत घनसोली और शिलफाटा के बीच यह सुरंग बनाई गई है।**

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना में की यह भारतीय

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)